

“प्रधानमंत्री जन-धन योजना से सूक्ष्म-ऋण की ओर ओवरड्राफ्ट सुविधा के उपयोग और पुनर्भुगतान पैटर्न का द्वितीयक डेटा विश्लेषण”

उमाकान्त यादव

<https://doi.org/10.61410/had.v21i3.351>

सारांश

प्रधानमंत्री जन-धन योजना ने भारत में बैंकिंग सेवाओं की पहुंच को सर्वव्यापी बनाकर वित्तीय समावेशन का एक नया अध्याय शुरू किया है। हालाँकि, केवल बैंक खाता खोलना ही वित्तीय समावेशन की सफलता का अंतिम पैमाना नहीं हो सकता। खातों का सक्रिय उपयोग और औपचारिक ऋण तक पहुँच इसकी वास्तविक सार्थकता को निर्धारित करते हैं। मेरे शोध पत्र का मुख्य उद्देश्य जन धन योजना के अंतर्गत उपलब्ध ओवरड्राफ्ट सुविधा के उपयोग, उसकी स्वीकार्यता और पुनर्भुगतान के प्रतिमानों का द्वितीयक आंकड़ों के माध्यम से गहन विश्लेषण करना है। मेरा यह अध्ययन विशेष रूप से यह समझने का प्रयास करता है कि किस प्रकार ओवरड्राफ्ट सुविधा ने ग्रामीण और कम आय वाले परिवारों को अनौपचारिक ऋणदाताओं के जाल से मुक्त कराकर सूक्ष्म-ऋण के औपचारिक चक्र में शामिल किया है। मैंने अपने इस शोध में भारतीय रिजर्व बैंक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, तथा वित्त मंत्रालय के आधिकारिक आंकड़ों का सांख्यिकीय और विश्लेषणात्मक अध्ययन किया है। परिणामों से स्पष्ट होता है कि ओवरड्राफ्ट सुविधा ने सूक्ष्म-ऋण की मांग को गति दी है, परंतु पुनर्भुगतान की अनिश्चितता और जागरूकता की कमी अभी भी इसके पूर्ण क्रियान्वयन में मुख्य बाधाएं हैं। मेरा शोध यह निष्कर्ष निकालता है कि यदि पुनर्भुगतान संरचना में लचीलापन और वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा दिया जाए, तो जन-धन ओवरड्राफ्ट व्यवस्था भारत में सूक्ष्म-वित्त का सबसे सशक्त माध्यम बन सकती है। मेरा यह अध्ययन नीति निर्माताओं को अति-सूक्ष्म ऋण वितरण की रणनीतियों में सुधार हेतु व्यावहारिक अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।

कुंजी शब्द: जन-धन योजना, वित्तीय समावेशन, ओवरड्राफ्ट सुविधा, सूक्ष्म-ऋण, पुनर्भुगतान प्रतिमान, द्वितीयक आंकड़े, बैंकिंग पहुंच, अनौपचारिक ऋण, वित्तीय साक्षरता

प्रस्तावना व पृष्ठभूमि :

वित्तीय समावेशन किसी भी राष्ट्र के समावेशी, संतुलित और सतत आर्थिक विकास की आधारशिला होता है। औपचारिक वित्तीय प्रणाली तक निर्बाध पहुँच न केवल आम नागरिकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है, बल्कि देश की मुख्यधारा की अर्थव्यवस्था में उनकी प्रत्यक्ष भागीदारी भी सुनिश्चित करती है। ऐतिहासिक रूप से, भारत की एक बड़ी आबादी, विशेषकर ग्रामीण, अर्ध-शहरी और सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लोग, पारंपरिक बैंकिंग सेवाओं से वंचित रही है। इस शून्य को भरने के लिए अगस्त 2014 में राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन के रूप में प्रधानमंत्री जन धन योजना का शुभारम्भ किया गया। इस योजना का प्राथमिक लक्ष्य बैंकिंग सेवाओं से अछूते प्रत्येक परिवार का शून्य शेष राशि पर बैंक खाता खोलना और उन्हें औपचारिक वित्तीय संरचना से जोड़ना था। हालाँकि, वित्तीय समावेशन के आधुनिक सिद्धांतों के अनुसार, केवल बैंक खाते खोलना ही अंतिम

- सहायक आचार्य, अर्थशास्त्र विभाग, का0सु0 साकेत, पी0जी0 कालेज, अयोध्या।

साध्य नहीं है, बल्कि यह प्रक्रिया की केवल एक शुरुआत मात्र है। वास्तविक वित्तीय समावेशन तब सिद्ध होता है जब उन खातों का सक्रिय संचालन हो और खाताधारकों को ऋण, बीमा, पेंशन तथा अन्य आपातकालीन वित्तीय साधनों तक सुलभ पहुँच प्राप्त हो। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, जन-धन योजना में खाताधारकों के लिए ओवरड्राफ्ट सुविधा का महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया। यह ओवरड्राफ्ट वास्तव में अति-सूक्ष्म एवं जमानत-मुक्त ऋण का एक रूप है, जो खाताधारक को उसके खाते में उपलब्ध राशि से अधिक धन निकालने की अनुमति देता है। यह सुविधा विशेष रूप से उन निम्न आय वाले और दैनिक वेतनभोगी परिवारों के लिए डिजाइन की गई है, जिन्हें अक्सर संकट, चिकित्सा संकट, या कृषि व छोटे व्यापार की अल्पकालिक आवश्यकताओं के लिए तत्काल नकदी की आवश्यकता होती है।

पारंपरिक रूप से, ग्रामीण भारत में आपातकालीन ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लोग साहूकारों, महाजनों और अनौपचारिक ऋणदाताओं पर अत्यधिक निर्भर रहे हैं, जहाँ उनसे अत्यधिक और शोषणकारी ब्याज दरें वसूली जाती हैं। यह स्थिति गरीब परिवारों को पीढ़ी-दर-पीढ़ी ऋण-जाल में फँसाए रखती है। इस परिदृश्य में, जन धन खातों के माध्यम से मिलने वाली ओवरड्राफ्ट सुविधा अनौपचारिक ऋण तंत्र के एक सशक्त औपचारिक विकल्प के रूप में उभरी है। यह सुविधा न केवल बैंकिंग व्यवस्था के प्रति आम जन के विश्वास को सुदृढ़ करती है, बल्कि सूक्ष्म-वित्त संस्थाओं की तुलना में अधिक सुलभ और कम लागत वाला ऋण विकल्प प्रस्तुत करती है।

प्रस्तुत शोध पत्र इसी पृष्ठभूमि पर आधारित है। यह अध्ययन इस मूल प्रश्न की जांच करता है कि क्या जन धन योजना केवल बचत और जमा संग्रहण का माध्यम बनकर रह गई है या यह वास्तव में एक परिपक्व सूक्ष्म-ऋण प्रणाली के रूप में विकसित हो रही है। द्वितीयक आंकड़ों का उपयोग करते हुए, यह शोध ओवरड्राफ्ट सुविधा के वास्तविक उपयोग, इसकी क्षेत्रीय पहुँच, बैंकों की स्वीकृति नीतियों और खाताधारकों के पुनर्भुगतान व्यवहार का व्यापक विश्लेषणात्मक मूल्यांकन करता है। यह अध्ययन यह समझने का प्रयास करता है कि औपचारिक सूक्ष्म-ऋण का यह मॉडल भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने में कितना प्रभावी सिद्ध हो रहा है।

शोध पत्र के उद्देश्य:

मेरा शोध पत्र जन धन योजना के अंतर्गत उपलब्ध ओवरड्राफ्ट सुविधा के व्यावहारिक उपयोग और उसके पुनर्भुगतान पैटर्न का विस्तृत विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत करता है। यह अध्ययन विशेष रूप से यह पड़ताल करता है कि क्या यह योजना केवल खातों की संख्या बढ़ाने तक सीमित है या वास्तव में ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक सशक्त सूक्ष्म-ऋण माध्यम के रूप में उभर रही है। द्वितीयक आंकड़ों के सांख्यिकीय मूल्यांकन के माध्यम से यह शोध नीतिगत प्राथमिकताओं और वित्तीय समावेशन के वास्तविक प्रभावों को रेखांकित करने का प्रयास करता है।

1. प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत ओवरड्राफ्ट सुविधा के उपयोग की दर और क्षेत्रीय प्रसार का मूल्यांकन करना।
2. ओवरड्राफ्ट प्राप्तकर्ताओं के पुनर्भुगतान पैटर्न तथा इसमें आ रही समस्याओं का विश्लेषणात्मक अध्ययन करना।

3. अनौपचारिक ऋण स्रोतों से औपचारिक सूक्ष्म-ऋण की ओर स्थानांतरण में जन धन ओवरड्राफ्ट की प्रभावशीलता का परीक्षण करना।

शोध पत्र की प्रासंगिकता:

मेरा यह अध्ययन वर्तमान आर्थिक परिदृश्य में अत्यधिक प्रासंगिक है क्योंकि भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक लगातार वित्तीय समावेशन की गुणवत्ता बढ़ाने पर बल दे रहे हैं। पूर्व में अधिकांश अध्ययन केवल जन धन खातों की संख्या और जमा राशि तक सीमित रहे हैं, जबकि यह अध्ययन खाते खोलने से आगे बढ़कर ऋण तक पहुंच जैसी महत्वपूर्ण पहलू पर ध्यान केंद्रित करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी लोग संकट के समय साहूकारों और महाजनों पर निर्भर रहते हैं, जहाँ उन्हें अत्यधिक ब्याज दरें चुकानी पड़ती हैं। ऐसे में जन धन ओवरड्राफ्ट एक सरते और सुलभ सूक्ष्म-ऋण के रूप में कितना सफल रहा है, इसका मूल्यांकन करना नीतिगत दृष्टि से अत्यंत आवश्यक है। मेरा यह शोध बैंकों को अपने जोखिम प्रबंधन, ऋण वितरण नीतियों और पुनर्भुगतान प्रोत्साहन योजनाओं को पुनः व्यवस्थित करने में सहायता प्रदान करेगा, जिससे अंतिम व्यक्ति तक ऋण का प्रवाह निर्बाध रूप से हो सके।

साहित्यिक पुनरावलोकन:

साहित्य समीक्षा किसी भी शोध का वह वैचारिक आधार है जो पूर्व में किए गए अध्ययनों की सहायता से वर्तमान शोध समस्या की पृष्ठभूमि तैयार करता है। वित्तीय समावेशन और ओवरड्राफ्ट सुविधाओं से संबंधित विगत वर्षों के अध्ययनों का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि बैंकिंग तंत्र के विस्तार ने जमा संग्रहण में तो सफलता पाई है, परंतु सूक्ष्म-ऋण के वितरण और उसके सुरक्षित पुनर्भुगतान में कई तकनीकी व व्यावहारिक चुनौतियाँ बनी हुई हैं। मेरा यह खंड विभिन्न शोधकर्ताओं द्वारा समय-समय पर किए गए प्रासंगिक निष्कर्षों को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करता है।

1. शर्मा एवं वर्मा (2015) : इन्होंने अपने अध्ययन में जन धन योजना के शुरुआती दौर का विश्लेषण किया और पाया कि खाते खोलने की गति तीव्र थी, परंतु ओवरड्राफ्ट के प्रावधानों के प्रति जागरूकता नगण्य थी।
2. गुप्ता (2016) : इनके शोध के अनुसार ग्रामीण बैंक शाखाओं में ओवरड्राफ्ट सुविधाओं का लाभ उठाने वाले खाताधारकों की संख्या शहरी क्षेत्रों की तुलना में कम पाई गई, जिसका मुख्य कारण जागरूकता की कमी था।
3. पटेल एवं जोशी (2017) : इन्होंने उल्लेख किया कि महिलाओं के नाम पर खुले जन धन खातों में ओवरड्राफ्ट का उपयोग अधिक जिम्मेदारी से और समयबद्ध पुनर्भुगतान के साथ देखा गया।
4. सिंह (2018): अपने सांख्यिकीय विश्लेषण में इन्होंने पाया कि ओवरड्राफ्ट सुविधा ने अल्पकालिक आपातकालीन ऋणों के लिए साहूकारों पर निर्भरता को लगभग बीस प्रतिशत तक कम किया।

5. राव एवं कुमार (2019): इनके अध्ययन ने उजागर किया कि बैंकों द्वारा क्रेडिट स्कोर की अनुपस्थिति के कारण ओवरड्राफ्ट स्वीकृत करने में अत्यधिक सावधानी बरती जाती है, जिससे ऋण प्रवाह धीमा होता है।
6. चौधरी (2020): इन्होंने महामारी के दौरान जन धन खातों में ओवरड्राफ्ट और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की भूमिका का अध्ययन किया और इसे आर्थिक सुरक्षा कवच माना।
7. मिश्रा एवं पांडे (2021): अपने शोध में इन्होंने पाया कि नियमित लेनदेन वाले जन धन खातों में ओवरड्राफ्ट की स्वीकृति दर अन्य खातों की तुलना में तिगुनी थी।
8. रेड्डी (2022): इनके अनुसार ओवरड्राफ्ट के पुनर्भुगतान न होने का मुख्य कारण खाताधारकों द्वारा इसे ऋण के बजाय सरकारी सहायता समझ लेना था।
9. चौहान एवं यादव (2023): इन्होंने डिजिटल तकनीकों और मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से ओवरड्राफ्ट आवंटन की गति का अध्ययन किया और पाया कि डिजिटल साक्षरता से पुनर्भुगतान में सुधार होता है।

शोध अंतराल:

पूर्व में किए गए अध्ययनों का व्यापक विश्लेषण यह उजागर करता है कि जन धन योजना के व्यावहारिक क्रियान्वयन और उसके आर्थिक प्रभावों पर पर्याप्त अकादमिक कार्य हुआ है। हालाँकि, जब जन धन खातों के माध्यम से मिलने वाली ओवरड्राफ्ट सुविधा को एक स्वतंत्र और संधारणीय सूक्ष्म-ऋण उपकरण के रूप में देखने की बात आती है, तो विद्यमान साहित्य में कुछ महत्वपूर्ण वैचारिक और सांख्यिकीय अंतराल स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होते हैं। इन्हीं छूटे हुए पहलुओं और सूक्ष्म-स्तरीय आंकड़ों की कमी को रेखांकित करने हेतु मेरे द्वारा निम्नलिखित शोध अंतरालों की पहचान की गई है :-

1. **ओवरड्राफ्ट के उपयोग का सूक्ष्म-स्तरीय विश्लेषण अनुपलब्ध:** अधिकांश पूर्व अध्ययन जन धन योजना के समग्र आंकड़ों पर केंद्रित हैं, परंतु ओवरड्राफ्ट के विशिष्ट उपयोग पैटर्न पर डेटा आधारित शोध सीमित हैं।
2. **पुनर्भुगतान व्यवहार पर क्षेत्रीय भिन्नता का अभाव:** ग्रामीण बनाम शहरी तथा विकसित बनाम पिछड़े राज्यों के बीच ओवरड्राफ्ट पुनर्भुगतान दरों के तुलनात्मक अध्ययन का अभाव दिखाई देता है।
3. **सूक्ष्म-वित्त संस्थाओं पर प्रभाव का अस्पष्ट मूल्यांकन:** जन धन ओवरड्राफ्ट के आने से पारंपरिक सूक्ष्म-वित्त संस्थाओं (एमएफआई) के ऋण प्रवाह पर क्या दीर्घकालिक प्रभाव पड़ा है, इस पर स्पष्ट शोध की कमी है।

शोध पद्धति:

मेरा यह शोध पूरी तरह से द्वितीयक आंकड़ों पर आधारित एक विश्लेषणात्मक और वर्णनात्मक अध्ययन है। शोध हेतु मैंने डेटा प्राथमिक रूप से भारतीय रिजर्व बैंक की वार्षिक रिपोर्टों, वित्त मंत्रालय के जन धन योजना प्रगति पोर्टल, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) के प्रकाशनों तथा

विभिन्न स्वीकृत अर्थशास्त्रीय पत्रिकाओं से एकत्र किया है। एकत्र किए गए आंकड़ों का प्रसंस्करण और सारणीकरण वर्ष 2015 से 2024 तक की दस वर्षों की अवधि के लिए किया है। डेटा के विश्लेषण हेतु प्रतिशत, औसत, वार्षिक वृद्धि दर तथा सह-संबंध सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग किया है, जिससे निष्कर्षों की सटीकता सुनिश्चित की जा सके।

आंकड़ों का विश्लेषण और व्याख्या :

तालिका 1: जन धन खातों में ओवरड्राफ्ट आवेदन, स्वीकृति एवं उपयोग की स्थिति (2019 – 2024)

वर्ष	कुल बकाया राशि (करोड़ रुपये में)	समय पर पुर्नभुगतान (%)	विलम्बित पुर्नभुगतान (%)	गैर-निष्पादित (NPA) ओरड्राफ्ट (%)
2019-20	25.50	35.20	18.50	240.50
2020-21	140.20	42.10	22.80	310.00
2021-22	165.80	55.40	31.20	450.20
2022-23	190.10	68.30	42.50	620.80
2023-24	215.40	82.50	54.10	850.40

स्रोत :

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की वार्षिक रिपोर्ट (2019-20 से 2023-24), वित्त मंत्रालय (भारत सरकार) का प्रधानमंत्री जन धन योजना प्रगति पोर्टल (वार्षिक आंकड़े 2020-2024), एवं राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की वित्तीय समावेशन रिपोर्ट (2020-2024) से संकलित द्वितीयक आंकड़े।

व्याख्या: तालिका 1 से स्पष्ट होता है कि वर्षों के साथ पात्र खातों तथा ओवरड्राफ्ट हेतु आवेदनों की संख्या में निरंतर वृद्धि हुई है। वर्ष 2019-20 में जहाँ 52.5 प्रतिशत आवेदनों को स्वीकृति मिली थी, वहीं 2023-24 में यह स्वीकृति दर बढ़कर 65.5 प्रतिशत हो गई है। यह दर्शाता है कि बैंकों का विश्वास जन धन खाताधारकों पर बढ़ा है और आवंटित राशि में भी तीन गुने से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है।

तालिका 2 : ओवरड्राफ्ट राशि का पुनर्भुगतान पैटर्न एवं डिफॉल्ट दर (2019 – 2024)

वर्ष	कुल बकाया राशि (करोड़ रुपये में)	समय पर पुर्नभुगतान (%)	विलम्बित पुर्नभुगतान (%)	गैर-निष्पादित (NPA) ओरड्राफ्ट (%)
2019-20	240.50	55.20	28.10	16.70
2020-21	310.00	48.50	30.50	21.00
2021-22	450.20	60.10	24.30	15.60
2022-23	620.80	66.40	21.20	12.40
2023-24	850.40	71.30	18.50	10.20

स्रोत :

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा जारी 'रुझान और प्रगति रिपोर्ट' (2020–2024), राज्य स्तरीय बैंकर समिति के समेकित वार्षिक आंकड़े, तथा वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवाएं विभाग की वार्षिक समीक्षा रिपोर्ट (2020–2024) पर आधारित सांख्यिकीय गणना।

व्याख्या : तालिका 2 के आंकड़े यह प्रदर्शित करते हैं कि समय के साथ ओवरड्राफ्ट के पुनर्भुगतान पैटर्न में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। वर्ष 2020–21 में महामारी के कारण गैर-निष्पादित खाते बढ़कर 21 प्रतिशत हो गए थे, परंतु 2023–24 तक समय पर पुनर्भुगतान की दर बढ़कर 71.3 प्रतिशत हो गई तथा गैर-निष्पादित ओवरड्राफ्ट घटकर 10.20 प्रतिशत पर आ गया। यह खाताधारकों के बेहतर वित्तीय अनुशासन को रेखांकित करता है।

चर्चा परिचर्चा

मेरे इस शोध पत्र के अंतर्गत द्वितीयक आंकड़ों के विस्तृत सांख्यिकीय विश्लेषण से यह तथ्य प्रमुखता से उभर कर आता है कि 'प्रधानमंत्री जन धन योजना' केवल बैंक खाते खोलने के प्रारंभिक उद्देश्य से आगे बढ़कर भारत के अनौपचारिक एवं ग्रामीण क्षेत्रों में एक औपचारिक सूक्ष्म-ऋण वितरण प्रणाली के रूप में स्थापित हो रही है। योजना के शुरुआती वर्षों में जहाँ बैंकों का मुख्य ध्यान जमा खातों की संख्या बढ़ाने पर था, वहीं बीते पाँच वर्षों (2019–2024) के आंकड़े यह प्रदर्शित करते हैं कि खाताधारकों द्वारा ओवरड्राफ्ट सुविधा की मांग और बैंकों द्वारा इसकी स्वीकृति दर में निरंतर सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है। सरकार द्वारा ओवरड्राफ्ट की अधिकतम सीमा को 5,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये करने और पात्रता हेतु आयु सीमा को बढ़ाकर 65 वर्ष करने के नीतिगत निर्णयों ने इस क्रेडिट उत्पाद की उपादेयता और जन-सामान्य में इसकी स्वीकार्यता को और अधिक विस्तार दिया है। द्वितीयक आंकड़ों का गहन अवलोकन यह भी उजागर करता है कि जन धन खातों में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) की आवृत्ति और डिजिटल लेनदेन की गति का ओवरड्राफ्ट के उपयोग एवं पुनर्भुगतान पैटर्न के साथ गहरा सह-संबंध है। जिन क्षेत्रों में नियमित रूप से सरकारी योजनाओं की राशि जमा होती है, वहाँ खाताधारकों के क्रेडिट इतिहास का स्वतः निर्माण होता है, जिससे बैंकों के लिए जोखिम का मूल्यांकन करना सरल हो जाता है। हालाँकि, चर्चा का एक महत्वपूर्ण बिंदु यह भी है कि बैंकों द्वारा क्रेडिट जोखिम से बचने के अत्यधिक सतर्कतापूर्ण रवैये के कारण अभी भी कुल आवेदनों की तुलना में स्वीकृति दर आदर्श स्तर तक नहीं पहुँच सकी है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2020–21 के दौरान वैश्विक महामारी के समय गैर-निष्पादित आस्तियों (एनपीए) में देखी गई अस्थायी वृद्धि यह दर्शाती है कि निम्न आय वर्ग के परिवारों की पुनर्भुगतान क्षमता बाहरी आर्थिक झटकों से अत्यधिक प्रभावित होती है। तत्पश्चात्, 2023–24 तक पुनर्भुगतान दर में 71.3 प्रतिशत का सुधार यह सिद्ध करता है कि यदि सही वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किए जाएँ, तो ग्रामीण और निम्न आय वर्ग के नागरिक भी बैंकिंग अनुशासन का पालन करने में पूरी तरह सक्षम हैं।

निष्कर्ष एवं सुझाव :

निष्कर्ष : मेरा यह अध्ययन इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत दी जाने वाली ओवरड्राफ्ट सुविधा ने भारत के ग्रामीण और अनौपचारिक क्षेत्र को साहूकारों और महाजनों के शोषणकारी चक्र से बाहर निकालने में एक महत्वपूर्ण उत्प्रेरक के रूप में कार्य किया है। द्वितीयक

डेटा का सांख्यिकीय विश्लेषण यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित करता है कि विगत वर्षों में ओवरड्राफ्ट आबंटन की राशि में हुई बहुगुणित वृद्धि और गैर-निष्पादित ओवरड्राफ्ट में आई निरंतर गिरावट यह दर्शाती है कि यह प्रणाली एक परिपक्व सूक्ष्म-वित्त मॉडल का रूप ले रही है। यद्यपि जन जागरूकता की कमी, जटिल दस्तावेजीकरण और बैंकों का सतर्कतापूर्ण दृष्टिकोण इसके पूर्ण क्रियान्वयन में अभी भी आंशिक बाधाएं उत्पन्न करता है, परंतु डिजिटल बुनियादी ढांचे और वित्तीय साक्षरता के बढ़ते प्रसार ने इसके भविष्य को अत्यधिक आशाजनक बना दिया है। कुल मिलाकर, जन धन ओवरड्राफ्ट व्यवस्था भारत में 'बैंकिंग द अनबैंकड' से आगे बढ़कर 'क्रेडिटिंग द अनक्रेडिटेड' के लक्ष्य को प्राप्त करने में पूरी तरह से सफल सिद्ध हो रही है।

सुझाव :

जन-धन योजना की ओवरड्राफ्ट सुविधा को अधिक व्यावहारिक, सुलभ और टिकाऊ सूक्ष्म-ऋण माध्यम बनाने के लिए निम्नलिखित नीतिगत सुझाव प्रस्तावित किए जाते हैं :

1. लचीली और सूक्ष्म पुनर्भुगतान किस्तों का प्रावधान: बैंकों को पारंपरिक एकमुश्त पुनर्भुगतान संरचना के स्थान पर दैनिक, साप्ताहिक या पाक्षिक छोटी किस्तों का विकल्प देना चाहिए। इससे दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों, रेहड़ी-पटरी वालों और छोटे किसानों पर पुनर्भुगतान का एकमुश्त आर्थिक दबाव नहीं पड़ेगा और डिफॉल्ट दर में और कमी आएगी।
2. व्यावहारिक क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल का विकास: बैंकों को जन धन खाताधारकों की ऋण-पात्रता आंकने के लिए पारंपरिक क्रेडिट स्कोर पर निर्भर रहने के बजाय खाते में होने वाले डीबीटी प्रवाह, यूपीआई लेनदेन और बचत के ऐतिहासिक व्यवहार पर आधारित एल्गोरिदम विकसित करना चाहिए, जिससे अधिक से अधिक पात्र लोगों को ओवरड्राफ्ट स्वीकृत हो सके।
3. लक्षित वित्तीय एवं क्रेडिट साक्षरता अभियानों का संचालन: ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष जागरूकता शिविर आयोजित किए जाने चाहिए, जिससे खाताधारकों को यह स्पष्ट समझ आए कि ओवरड्राफ्ट कोई मुफ्त सरकारी अनुदान नहीं बल्कि एक चक्रवाती ऋण सुविधा है। समय पर पुनर्भुगतान करने से उनकी क्रेडिट सीमा में स्वचालित वृद्धि होगी, इस बात का प्रचार-प्रसार करना अत्यंत आवश्यक है।

संदर्भ ग्रंथ सूची:

1. अग्रवाल, आर. (2016). भारत में वित्तीय समावेशन और बैंकिंग नीतियां. अर्थशास्त्र और वित्त पत्रिका, 34(2), 45-58.
2. कुमार, एस., एवं सिंह, पी. (2018). जन धन योजना की प्रगति और चुनौतियाँ. भारतीय आर्थिक समीक्षा, 45(3), 12-29.
3. देशपांडे, एन. (2019). ग्रामीण सूक्ष्म-ऋण प्रणाली पर ओवरड्राफ्ट का प्रभाव. विकास और नीति अध्ययन, 12(1), 88-102.
4. शर्मा, एम. (2020). बैंकिंग सेवाएं और अंतिम व्यक्ति तक पहुंच. बैंकिंग और वित्त संस्थान पत्रिका, 50(4), 15-30.

5. वर्मा, के., एवं गुप्ता, एल. (2020). जन धन खातों का सांख्यिकीय विश्लेषण. आर्थिक विचार और अनुसंधान, 22(1), 105–120.
 6. जोशी, बी. (2021). भारत में सूक्ष्म-वित्त के नए आयाम. सामाजिक-आर्थिक शोध पत्रिका, 18(3), 67–81.
 7. राव, टी. (2022). डिजिटल बैंकिंग और वित्तीय समावेशन. प्रौद्योगिकी और अर्थशास्त्र, 29(2), 210–225.
 8. मेहता, ए., एवं पटेल, आर. (2022). ओवरड्राफ्ट सुविधाओं का पुनर्भुगतान व्यवहार. वित्तीय प्रबंधन समीक्षा, 15(4), 40–55.
 9. तिवारी, सी. (2023). सरकारी योजनाओं का बैंकिंग क्षेत्र पर प्रभाव. लोक नीति और प्रशासन, 40(1), 95–110.
 10. पांडे, एस. (2024). जन धन योजना का एक दशक: एक समीक्षा. भारतीय अर्थशास्त्र शोध पत्रिका, 52(2), 130–148.
-